



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1538]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2010/श्रावण 5, 1932

No. 1538]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2010/SHRAVANA 5, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

सं. 62/2010-आय-कर

का.आ. 1843(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) दिनांक 3 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची 1 में, क्रमांक 111 एवं 112 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रमांक एवं विवरण क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	आय-कर प्राधिकारियों का मदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग	मामले अथवा मामलों के वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"111.	आयकर आयुक्त, नाशिक-1	नाशिक	महाराष्ट्र राज्य में, - महाराष्ट्र मालेगांव, सातना, नंदगांव, चांदवाड़ तथा	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय माला ए, बी, सी, डी, ई,	(क) सभी कम्पनी मामले जिनके नाम वर्ण

		येवला तालुक के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न जिला नाशिक (ख) नाशिक जिले की तालुके: (i) मलेगांव (ii) सातना, (iii) नंदगांव, (iv) चांदवाड़ तथा (v) येवला	कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ख) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो वेतन से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले कम्पनियों से भिन्न हैं तथा जिनके कारोबार अथवा निवास का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ग) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति जिनका कार्यालय कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति (ड.) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है;	एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई अथवा जेड से शुरू होते हैं; (ख) सभी सहकारी समितियां, न्यास ए ओ पी, बी ओ आई, स्थानीय प्राधिकरण तथा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति; (ग) उपर्युक्त कालम (6) की मद (क) तथा मद (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न सभी व्यक्ति जिनके उप नाम वर्णमाला ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, डब्ल्यू, एक्स, वाई अथवा जेड से व्यष्टियों के मामले में शुरू होते हैं तथा अन्य व्यक्तियों के
--	--	--	--	--

				(च) कालम (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों से भिन्न है तथा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (छ) कालम (6) की मद (ड.) में संदर्भित व्यक्ति जिनके पास कारोबार से भिन्न स्रोतों से आय है तथा जो कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं अथवा कार्य कर रहे हैं;	मामले में जिनके नियोक्ता का नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, डब्ल्यू, एक्स, वाई अथवा जेड से शुरू होते हैं; (घ) वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आय वाले उपर्युक्त कालम (6) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न सभी व्यक्ति जिनके नियोक्ता के नाम एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई अथवा जेड से शुरू होते हैं; (ङ) कालम (5) की मद (ड.) से (छ) तक में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के
--	--	--	--	---	--

					सभी मामले;
			(ग) धुले एवं नंदुरबार जिले	(ज) कालम (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (झ) कालम (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यक्ति जो वेतन से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले कम्पनियों से भिन्न हैं तथा जिनके कारोबार अथवा निवास का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ञ) कालम (6) की मद (च) में संदर्भित व्यक्ति जिनके पास कारोबार से भिन्न स्रोतों से आय है तथा जो कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं अथवा कार्य कर रहे हैं;	(च) कालम (5) की मद (ज) से (ञ) तक मदों में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;
112.	आयकर आयुक्त, नाशिक-॥	नाशिक महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में, - मालेगांव, सातना, नंदगांव, चांदवाड़ तथा	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय	(क) सभी कम्पनी मामले जिनके नाम वर्णमाला एन, ओ, पी,

			येवला तालुक के भीतर आने वाले क्षेत्रों से भिन्न जिला नाशिक	कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ख) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति जो वेतन से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले कम्पनियों से भिन्न हैं तथा जिनके कारोबार अथवा निवास का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति	क्यू आर अथवा एस से शुरू होते हैं ; (ख) कालम (6) की मद (क) तथा मद (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न सभी व्यक्ति जिनके उप नाम वर्णमाला एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू अथवा वी से व्यष्टियों के मामले में शुरू होते हैं तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में जिनके नियोक्ता का नाम एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू अथवा वी से शुरू होते हैं; (ग) वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आय वाले उपर्युक्त कालम (6) की मद (क) तथा मद (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों
--	--	--	---	---	---

					से भिन्न सभी व्यक्ति जिनके नियोक्ता के नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के अथवा एल से शुरू होते हैं.
			(ख) जिला जलगांव	(घ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कारोबार का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ड.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो वेतन से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले कम्पनियों से भिन्न हैं तथा जिनके कारोबार अथवा निवास का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (च) कालम (6) की मद (घ) में संदर्भित व्यक्ति जिनके पास कारोबार से भिन्न स्रोतों से आय है	(घ) कालम (5) की मद (घ) से (च) तक में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले" ।

				तथा जो कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं अथवा कार्य कर रहे हैं;	
--	--	--	--	--	--

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 2010 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 187/11/2009-आ.क.नि.-1]
रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)

टिप्पणी :— प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 732 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001 के तहत प्रकाशित की गई तथा अंतिम बार संख्या का.आ. 1240 (अ), दिनांक 26 मई, 2010 के तहत संशोधित की गई।